रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082021-229276 CG-DL-E-27082021-229276

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485] No. 485] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 2021/भाद्र 5, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 2021/BHADRA 5, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2021

सं. 48/2021-सीमाश्ल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 597(अ).—जहां कि इंडोनेशिया और सिंगापुर (एतिशमन पश्चात जिसे विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "अनकोटेड कॉपियर पेपर" (एतिशमन पश्चात जिसे उक्त विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिशमन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) कि प्रथम अनुसूची के शीर्षक 4802 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 56/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 4 दिसम्बर, 2018, जिसे सा.का.िन. 1166 (अ), दिनांक 4 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतिशमन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार अपने प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/8/2021-डीजीटीआर, दिनांक 19 मई, 2021, जिसे दिनांक 19 मई, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया गया है और

4795 GI/2021 (1)

उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 56/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 4 दिसम्बर, 2018 जिसे सा.का.नि. 1166 (अ), दिनांक 4 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था. इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है. यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"2क. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, और 4 के समक्ष विनिर्दिष्ट विषयगत वस्तुओं पर लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 28 फरवरी, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।"

[फा. सं. सीबीआईसी 190354/143/2021 –टीओ (टीआरयू-I) -सीबीईसी] ज. स. कंधारी. उप सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 56/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 4 दिसम्बर, 2018 को सा.का.िन. 1166 (अ), दिनांक 4 दिसम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2021

No. 48/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 597(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/8/2021-DGTR, dated the 19th May, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 19th May, 2021, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of 'Uncoated Copier Paper' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under heading 4802 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from Indonesia and Singapore (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 56/2018-Customs (ADD), dated the 4th December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), *vide* number G.S.R. 1166(E), dated the 4th December, 2018 and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), 56/2018-Customs (ADD), dated the 4th December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1166(E), dated the 4th December, 2018, namely: -

In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"2A. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed on the subject goods specified against serial numbers 1, 2, 3, and 4 of the Table above shall remain in force up to and inclusive of the 28th February, 2022, unless revoked, superseded or amended earlier."

[F. No. CBIC-190354/143/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

J. S. KANDHARI, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 56/2018-Customs (ADD), dated the 4th December, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1166(E), dated the 4th December, 2018.